15

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध अपील वाद संख्या– 04/2017–18

–:आदेश:–

सूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
22/1/19	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक भोला नाथ झा उर्फ रवि प्रसाद झा, पिता स्व0 हर्ष नारायण झा, सा0 विश्वनाथडीह, थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो के द्वारा अंचल अधिकारी, चास के भू–मापी वाद संख्या 49/2016–17 में दिनांक 24.08.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।	

विवादित भूमि

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
विश्वनाथडीह	109	9	165, 166, 168, 169	1.34ए0

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा विश्वनाथडीह, खाता नं0 9, प्लॉट नं0 165, 166, 168, 169, रकवा 1.34ए0 भूमि सर्वे खतियान में चार हिस्सेदारों के नाम से दर्ज है। जिसमें अपीलार्थी का हिस्सा 0.33½ ए0 एवं केवाला सं0 1007 दिनांक 15.02.1990 के द्वारा रकवा 0.24ए0 भूमि प्राप्त है। इस प्रकार कुल रकवा 0.57½ए0 भूमि का मालिकाना हक प्राप्त है। उन्होनें उल्लेख किया है कि विपक्षीगण द्वारा प्लॉट नं0 165 में रकवा 0.03 ए0 एवं प्लॉट नं0 169 में 0.03ए0 कुल रकवा 0.06ए0 भूमि कब्जा कर लिया है। अंचल अमीन के द्वारा रकवा 0.51½ए0 भूमि की मापी की गई, उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा भी मात्र रकवा 0.51½ए0 भूमि की मापी पर ही अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। अन्त में इनके द्वारा अंचल अधिकारी से पुनः कुल रकवा 0.57½ए0 भूमि की मापी करवाने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है। इनके द्वारा

अनुसूची 14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	उल्लेंख किया गया है कि प्रथम पक्ष द्वारा विवादित भूमि का कुल रकवा 1.34ए0 दर्शाया गया है। जिसमें मात्र रकवा 0.51½ए0 भूमि पर वाद लाना उचित नहीं है। भू—मापी अभिलेख संख्या 49/2016—17 में सात प्लॉटों का उल्लेंख है। जबकि मापी सिर्फ चार प्लॉटों का ही किया गया है। मौजा विश्वनाथडीह, खाता नं0 9, प्लॉट नं0 163, 165, 166, 168, 169, 160, 161, कुल रकवा 2.50ए0 है। जो चीनीवास ओझा एवं अन्य के नाम से दर्ज है। जिसमें से प्रत्येक को 62.5डी0 भूमि हिस्से में प्राप्त होता है। कृत्ति नाथ ओझा की पत्नी सुकुभनी देव्या 62.5डी0 भूमि केवाला सं0 6602 दिनांक 13.06.1942 को श्रीमती हाबु बाला देवी को बिक्री कर दिया गया था। इन्होनें यह भी उल्लेंख किया की भू—मापी अभिलेख सं0 49/2016—17 में किया गया भू—मापी अधूरा है तथा पुनः मापी करवाने का अनुरोध किया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सूना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन में उल्लेंखित है कि आवेदक को केवाला से रकवा 0.24ए0 एवं खतियानी हिस्सा से रकवा 0.33½ ए0 कुल रकवा 0.57½ए0 भूमि है। अंचल अमीन द्वारा रकवा 0.51½ ए0 भूमि का मापी किया गया है। शेष भूमि का मापी नहीं किया। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, चास के द्वारा भू—मापी अभिलेख सं0 49/2016—17 में दिनांक 21.03.2017 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी के मूल आवेदन के आलोक में उभय पक्ष की उपस्थिति में कुल रकवा 0.57½ए0 भूमि का सीमांकन कर आदेश पारित करने हेतु यह वाद अंचल अधिकारी, चास को रिमाण्ड किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 22/01/19 (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास। 22/01/19 (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास।	received 16/08/19 received 21/08/19

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 12:43:13 +05:30
Location: 192.168.1.42

Scanned with OKEN Scanner